


# डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की रू कीम (सीड)

दिशानिर्देश



सत्यमेव जयते



- 1.5 विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैलियों वाले ये समुदाय पूरे भारत में फैले हैं और इनमें से अधिकतर अदृश्य, कम फैले हुए हैं और अधिकतर पलायन कर रहे हैं। मानकीकृत ग्राम, ब्लॉक, जिला विकास मॉडल इन पर अधिकतर फिट नहीं बैठते हैं। डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय छोटे समूहों में सीमित क्षमता और कौशल के साथ पाए जाते हैं। अतः सरकार के वर्तमान कल्याण कार्यक्रमों में इन समुदायों के लिए किसी भी विकास मक एप्रोच के लिए विशेष प्रयास करने की कड़ी आवश्यकता है।
- 1.6 डीएनटी समुदायों के कल्याण पर रिपोर्टों में विभिन्न सिफारिशों पर विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए राज्य विशेष ट सामाजिक-आर्थिक, संस्कृतिक, विभिन्नता के संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि विमुक्त जनजातियों के आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, नियोजन अवसरों को उत्पन्न करने, सामाजिक स्वतंत्रता और पूर्ण पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा सके।
- 1.7 उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में डीएनटी समुदायों के सशक्तिकरण के लिए एक अर्ध ब्रेला स्कीम तैयार की गई है और वित्तीय वर्ष 2021-22 से आरंभ कर 5 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित चार घटकों के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा:-
- शैक्षणिक सशक्तिकरण
  - स्ववास धन्य (एनएचए की पीएमजेवाई के माध्यम से)
  - आजीविका (एसआरएलएम और एनआरएलएम के माध्यम से)
  - भूमि और आवासन (पीएमवाई/आईवाई के माध्यम से)

## 2. स्कीम के उद्देश्य :-

स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- डीएनटी अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने में उच्च गुणवत्तापरक कोचिंग प्रदान करने के लिए;
- डीएनटी समुदायों को स्ववास धन्य बीमा प्रदान करने के लिए
- डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों, संस्थाओं के छोटे समूहों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए सामुदायिक स्तर पर जीविका पहलों की सुविधा के लिए।
- डीएनटी समुदायों के सदस्यों के घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान हेतु।

## 3. स्कीम के लक्षित समूह और कार्यान्वयन

डीएनटी समुदाय जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 2.50 लाख रुपए अथवा इससे कम है और जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की समान स्कीम से ऐसे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी), अपने कार्यान्वयन के लिए राजस्व सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, एनआरएलएम, राष्ट्रीय स्वस्थ प्राधिकरण आदि जैसी एजेंसियों के साथ समग्र रूप से समन्वय करेगा। निःशुल्क कोचिंग प्रणाली, आवासन कार्यक्रम के लिए आईएवाई, स्वस्थ बीमा के लिए राष्ट्रीय स्वस्थ प्राधिकरण, जीविका कार्यों के लिए एनआरएलएम जैसी स्थापित कार्यान्वयन प्रणालियों के माध्यम से स्कीम का कार्यान्वयन किया जाएगा।

विभिन्न स्तरों पर कार्यकलापों की निगरानी और समन्वय के लिए युवा व्यावसायिकों, परामर्शदाताओं और वरिष्ठ परामर्शदाताओं जैसे संविदात्मक/आउटसोर्स कर्मियों की आवश्यकता होगी। स्कीम के स्वीकार्य प्रशासनिक व्ययों से इस व्यय का वहन किया जाएगा, जो स्कीम के कुल वित्तीय परिव्यय का लगभग 1% होगा।

#### 4. शैक्षणिक सशक्तिकरण

4.1 सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शिक्षा सामाजिक आर्थिक गतिशीलता का एक शक्तिशाली उपकरण है और समान तथा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। यह आर्थिक कल्याण के लिए कौशल और क्षमताएं प्रदान करती है। 21वीं सदी में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रासंगिक ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल युक्त सुशिक्षित जनसंख्या आवश्यक है। तदनुसार, डीएनटी समुदायों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए डीएनटी छात्रों हेतु निःशुल्क कोचिंग के घटक की परिकल्पना की गई है।

#### 4.2 डीएनटी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग

##### 4.2.1 उद्देश्य

इस घटक का उद्देश्य डीएनटी उम्मीदवारों के लिए उच्च गुणवत्ता परक कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकें और पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सफल हो सकें।

##### 4.2.2 कोचिंग के लिए पाठ्यक्रम

प्रदान की जाने वाली कोचिंग के पाठ्यक्रम इस प्रकार होंगे:-

- i) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा आयोजित समूह क और ख परीक्षाएं;
- ii) राज् य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित समूह क और ख परीक्षाएं;
- iii) बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा आयोजित अधिकारी ग्रेड परीक्षाएं;
- iv) प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं – (क) इंजीनियरिंग (उदाहरण आईआईटी-जेईईई), (ख) मेडिकल (उदाहरण एनईईटी), (ग) प्रबंधन (उदाहरण सीएटी) और विधि (उदाहरण सीएलएटी) जैसे ँ यावसायिक पाठ्यक्रम और (घ) ऐसे अन् य कोई भी विषय जिन पर मंत्रालय यथा समय निर्णय लेगा।
- v) एसएटी, जीआरई, जीएमएटी और टीओईएफएल जैसी पात्रता परीक्षाएं।
- vi) सीपीएल पाठ्यक्रमों/राष् ट्रीय रक्षा अकादमी और संयुक् त रक्षा सेवाओं के लिए प्रवेश परीक्षाएं।

#### 4.2.3 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ँ लॉटों का वितरण

जिन पाठ्यक्रमों के लिए अर्हता परीक्षा ँ नातक है उनके लिए कुल उपलब् ध ँ लॉटों का 60% आवंटित किया जाना चाहिए। जिन पाठ्यक्रमों के लिए अर्हता परीक्षा कक्षा 12 है उनके लिए कुल ँ लॉटों का 40% आवंटित किया जाना चाहिए।

#### 4.2.4 छात्रों के लिए पात्रता मानदंड

- i. डीएनटी समुदाय के केवल ऐसे छात्र जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 2.50 लाख रुपए अथवा इससे कम है और जो केन् द्र सरकार अथवा राज् य सरकार की समान ँ कीम से ऐसे कोई लाभ प्राप् त नहीं कर रहे हैं, इस ँ कीम के अंतर्गत लाभ प्राप् त करने के पात्र होंगे। ँ व-रोजगार प्राप् त माता-पिता/अभिभावकों की आय घोषणा तहसीलदार से ऊपर के पद वाले राज् स व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में होनी चाहिए। नियोजित माता-पिता/अभिभावकों के लिए अपने नियोक ताओं से आय प्रमाण पत्र प्राप् त करना आवश् यक है। नियोजित माता-पिता/अभिभावक किसी भी अन् य अतिरिक् त आय स्रोत के लिए राज् स व अधिकारी से समेकित प्रमाण पत्र प्राप् त करेंगे।
- ii. प्रतियोगी परीक्षा में यथा विनिर्दिष् ट दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों को कोचिंग के लिए प्रतियोगी परीक्षा की अर्हता परीक्षा में न् यूनतम अंक प्राप् त होने चाहिए। तथापि, यदि छात्र ने उक् त अर्हता परीक्षा में अभी

भाग नहीं लिया है अथवा छात्र ने भाग तो लिया है, परंतु परिणाम घोषित नहीं हुआ है, तो अर्हता परीक्षा से ठीक पहले बोर्ड/डिग्री परीक्षा में प्राप्त अंकों में विचार किया जाना चाहिए। यदि पात्र आवेदनों की संख्या या दिए गए स्लॉटों से अधिक होती है, तो अर्हता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के घटते क्रम के अनुसार चयन किया जाएगा।

- iii. जिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अर्हता परीक्षा कक्षा 12 है, उसमें स्कीम के अंतर्गत केवल उन ही उम्मीदवारों को लाभ प्राप्त हो पाएगा जिन्होंने कक्षा 12 उत्तीर्ण कर ली है अथवा जो लाभ प्राप्त करने की तारीख को कक्षा 12 में अद्ययनरत हैं। इसके अलावा, जिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अर्हता परीक्षा स्नातक स्तर है, उसमें स्कीम के अंतर्गत केवल उन ही छात्रों/उम्मीदवारों को लाभ प्राप्त हो पाएगा जिन्होंने स्नातक स्तर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है अथवा जो स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के समय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अद्ययनरत हैं।
- iv. ऐसी परीक्षाएं जो दो भागों, प्रारंभिक और मुख्य, में आयोजित की जाती हैं, उनमें चयन के लिए उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने कम से कम एक बार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- v. स्कीम के अंतर्गत कोई भी छात्र दो से अधिक बार लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है चाहे वह इस विशेष प्रतियोगी परीक्षा में कितनी बार भी भाग लेने का पात्र क्यों न हो। छात्र को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने स्कीम के अंतर्गत दो से अधिक बार लाभ प्राप्त नहीं किया है।
- vi. छात्र को केन्द्र अथवा राज्य सरकारों की समान स्कीम के कोई अन्य छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने से रोका जा सकता है। उम्मीदवार को इस आशय का शपथ पत्र अपलोड करना होगा कि वह केन्द्र/राज्य की किसी अन्य समान स्कीम से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। स्कीम का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की सूची सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी और इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ भी शेयर भी किया जाना चाहिए ताकि उम्मीदवार द्वारा समान स्कीम के लाभ एक साथ उठाने की संभावना को समाप्त किया जा सके।
- vii. ऐसी परीक्षाएं जो दो चरणों यथा प्रारंभिक और मुख्य, में आयोजित की जाती हैं, वहां उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु पात्र होगा। वे अपने सुविधानुसार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं, प्रत्येक, के लिए दो बार तक निःशुल्क कोचिंग हेतु पात्र होगा। तथापि, यदि

उम मीदवार साक्षात्कार के लिए चुना जाता है तो इसकी कोचिंग के अवसरों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

#### 4.2.5 कार्यान्वयन का तरीका

रू कीम के आने वाले पैरा में दिए गए अनुसार वर्ष 2021-22 से प्रत्येक वर्ष कुल 1250 छात्रों को विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यू ल्यूबीडीएनसी) द्वारा चुना जाएगा। इन छात्रों को अपने चयन के किसी भी संस्थान में कोचिंग पाठ्यक्रम प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

#### 1) चुने जाने वाले उम मीदवारों की संख्या:

कुल चयनित छात्रों में से 40 प्रतिशत छात्र कक्षा XII के रूप में पात्रता शर्त वाली प्रतियोगी परीक्षाओं (उदाहरण एनईईटी, जेईई, सीएलएटी आदि) के लिए उद्दिष्ट किए जाएंगे। शेष 60 प्रतिशत छात्रों का चयन रूनातक के रूप में पात्रता शर्त वाली प्रतियोगी परीक्षाओं (सीएटी, सिविल सेवा परीक्षा आदि) के लिए किया जाएगा।

#### 2) आवेदन की प्रक्रिया:

- i. रू कीम की सारगर्भित सूचना देते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से रू कीम का व्यापक प्रचार किया जाएगा। रू कीम की पात्रता शर्तों के अनुसार आवेदक को अपनी योग्यता और उपयुक्तता के मूल मापक के पश्चात् अपने इच्छित पाठ्यक्रम के विवरण के साथ इस मंत्रालय के पोर्टल [coaching.dosje.gov.in](http://coaching.dosje.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ii. आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल वर्ष में दो बार अर्थात् जुलाई और जनवरी माह के दौरान एक माह के लिए खुलेगा।
- iii. आवेदकों के लिए विनिर्दिष्ट सहायक दस्तावेज के साथ-साथ अपने आवेदन अपलोड करना आवश्यक होगा।
- iv. ऑफलाइन आवेदनों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाइन आवेदनों पर ही सहायता हेतु विचार किया जाएगा। सभी अपूर्ण आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, अस्वीकृत उम मीदवारों के पास चयन के अगले चरणों में आवेदन करने का विकल्प होगा।

#### 3) उम मीदवारों का चयन:

- i. आवेदन पोर्टल के बंद हो जाने पर रु कीम के पैरा 4.2.3 में उल्लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों रु तरों के लिए उम् मीदवारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर रु वयं आईटी सिस्टम द्वारा अलग-अलग मेरिट सूची बनाई जाएगी।
- ii. पात्रता सुनिश्चित करने के लिए मेरिट के आधार पर आवेदनों की जांच की जाएगी। ऐसे आवेदन जो अपूर्ण पाए जाएंगे अथवा यदि आवेदक अपात्र पाया जाएगा तो उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।
- iii. मेरिट का आधार रु कीम के पैरा 4.2.4 (ii) में दिए गए विवरण के अनुसार होगा।
- iv. इस प्रकार अंतिम रूप दी गई मेरिट सूचियों को उम् मीदवारों के चयन की सिफारिश हेतु डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा स्थापित चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा। मेरिट में आए उम् मीदवारों को उनके प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात रु कीम का लाभ दिया जाएगा। मेरिट सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
- v. प्रत्येक वर्ष के लिए उपलब्ध रु लॉटों को ध्यान में रखते हुए वर्ष में दो चरणों में 625 उम् मीदवारों को सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक चरण में अलग मेरिट सूची बनाई जाएगी।

#### घ) छात्रों को सहायता जारी करना

- i. पाठ्यक्रम शुल्क डीबीटी मोड के माध्यम से दो किश्तों में लाभार्थी उम् मीदवार के बैंक खाते में सीधा जारी किया जाएगा। तथापि, छात्रों को अपने आधार नम्बर से जुड़ा बैंक खाता प्रस्तुत करना होगा।
- ii. उम् मीदवारों के चयन और प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात उम् मीदवारों को "मुक्त आशवासन" पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें चयनित उम् मीदवार का नाम, रैंक संख्या, रु कीम के अंतर्गत दी जाने वाली शुल्क राशि का विवरण दिया गया होगा। कोचिंग में भाग लेने के लिए कोचिंग संस्थान से संपर्क करने के लिए उम् मीदवार द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। दाखिले की पुष्टि/संस्थान से आशवासन प्राप्त होने पर उम् मीदवार इसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा। इसके पश्चात पात्र राशि का 50 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
- iii. पहली किश्त के जारी होने के छः माह के भीतर ही उम् मीदवार को चयनित पाठ्यक्रम आरंभ करना होगा। उम् मीदवार द्वारा संस्थान जवाइन करने और पहली किश्त के रूप में जारी राशि संस्थान में जमा



किए जाने के प्रमाण के पश्चात् शेष शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। उम्मीदवार के लिए "एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग स्कीम" के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा पैनलबद्ध संस्थान जवाइन करना आवश्यक है। यदि शुल्क राशि की पहली किश्त छः माह की अवधि के भीतर चयनित संस्थान को नहीं दी जाती है तो इस राशि को सरकार को वापस करना होगा और दूसरी किश्त के लिए वह पात्र नहीं होगा। उम्मीदवार को विनिर्दिष्ट प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह कोचिंग शुल्क की पहली किश्त प्राप्त करने के छः माह के भीतर अपनी इच्छा के कोचिंग संस्थान में दाखिला लेगा, ऐसा न होने पर वह शीघ्र ही मंत्रालय को राशि वापस कर देगा।

- iv. उम्मीदवार की सुविधा के लिए निधियों की पहली किश्त जारी करने के साथ इस आशय का पत्र भी जारी किया जाएगा कि उम्मीदवार द्वारा पाठ्यक्रम में भाग लेने के पश्चात् शेष शुल्क का भी भुगतान कर दिया जाएगा।

#### 4.2.6 सहायता की सीमा

- i. **शुल्क** : जिस संस्थान में छात्र आवेदन कर रहा है उस संस्थान का वास्तविक पाठ्यक्रम शुल्क, जो संस्थान सामान्य छात्रों से लेता है अथवा स्कीम के **अनुबंध** के अनुसार मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम शुल्क, जो भी कम हो, **अनुबंध** में दिए गए पाठ्यक्रम के शुल्क और अवधि की सीमा के अनुसार होगा। यदि पाठ्यक्रम का शुल्क अनुमत्त राशि से अधिक होगा तो उम्मीदवार अपने स्वयं के स्रोतों से शेष निधियों का प्रबंध करेगा।
- ii. **वजीफा** : कोचिंग कक्षा में भाग लेने के लिए स्थानीय छात्रों को 1500/- रुपये प्रति छात्र का मासिक वजीफा दिया जाएगा। इसी प्रकार बाहर रहने वाले छात्रों को 3000/- रुपये प्रति छात्र का भुगतान किया जाएगा। वजीफे का भुगतान पाठ्यक्रम की अवधि तक अथवा एक वर्ष, जो भी कम हो, के लिए किया जाएगा। प्रत्येक छात्र के वजीफे का भुगतान डीबीटी के माध्यम से मंत्रालय द्वारा सीधा ही किया जाएगा।
- iii. **विशेष भत्ता** : वैध विकलांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत तक अथवा उससे अधिक विकलांगता) वाले विकलांग छात्र, रीडर भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता, सहायक भत्ता आदि के लिए प्रति माह 2000/- माह के विशेष भत्ते के भी पात्र होंगे। यह पैरा 4.2.6(ii) में उल्लिखित वजीफे के अतिरिक्त होगा।

#### 4.2.7 स्कीम का कार्य निष्पादन और निगरानी:

- i) मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) आवेदनों की जांच और प्रक्रिया के साथ-साथ उम्मीदवारों की प्रगति की निगरानी में भी सहायता करेगा।
- ii) प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों की सफलता अथवा असफलता के बारे में उम्मीदवारों से प्राप्त सूचना के आधार पर रुक्रीम का लाभ प्राप्त करने वाले चयनित उम्मीदवारों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी।

**अनुबंध: [पैरा 4.2.6 में यथा उल्लिखित]**

डीएनटी छात्रों के लिए उपयुक्त त्र कीम के अंतर्गत अधिकतम शुल्क और न्यूनतम अवधि

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अधिकतम कुल पाठ्यक्रम शुल्क रूपए में	न्यूनतम* अवधि माह में
1.	यूपीएससी/एसपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा	1,20,000	9 माह (4 माह प्रारंभिक+ 5 माह मुख्य)
2.	एसएससी/आरआरबी	40,000	6 माह
3.	बैंकिंग/बीमा/पीएसयू/सीएलएटी	50,000	6 माह
4.	जेईई/एनईईटी	1,20,000	9 माह (12 माह से अधिक नहीं)
5.	आईईएस	80,000	वही
6.	सीएटी/सीएमएटी	60,000	वही
7.	जीआरई/जीएमएटी/एसएटी/टीओएफईएल	35,000	3 माह
8.	सीए-सीपीटी/जीएटीई	75,000	9 माह
9.	सीपीएल पाठ्यक्रम	30,000	6 माह
10.	एनडीए/सीडीएस	20,000	3 माह

\*सभी उपर्युक्त त्र पाठ्यक्रमों के लिए 16 घंटे प्रति सप्ताह की न्यूनतम वार त्रविक कोचिंग अनिवार्य होगी।

## 5. डीएनटी, एनटी और एसएनटी के लिए स्वास्थ्य बीमा:

डीएनटी/एनटी समुदाय के सदस्यों के पास सुचारु स्वास्थ्य नीतियों के अंतर्गत मेडिकल सुविधाओं और अन्य उपलब्ध लाभों तक कम अथवा कोई भी पहुंच न होने की संभावना है। वे इतने गरीब हैं कि वे प्राइवेट मेडिकल देखभाल का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से पीएमजेवाई आयुष मान भारत जैसी स्कीमों के अंतर्गत डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों के लिए स्वास्थ्य देखभाल में सहायता हेतु सरकार द्वारा अलग लक्षित समूहों पर विचार किया जाए।

### 5.1 डीएनटी, एनटी और एसएनटी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के समर्थन का लक्ष्य:

स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य "आयुष मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के मानकों के अनुसार डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों को अलग से विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल के समर्थन का उद्देश्य ऐसे डीएनटी/एनटी/एसएनटी परिवारों, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और इस दिशानिर्देश में यथा संभव पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, को पीएमजेवाई का लाभ प्रदान करना है।

### 5.2 आयुष मान भारत स्कीम:

आयुष मान भारत, भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के विजन को अपनी प्रतिबद्धता के साथ प्राप्त करने के लिए आरंभ की गई थी, जो "किसी को भी पीछे न छोड़ना" है। आयुष मान भारत देखभाल की निरंतर एप्रोच को अपनाता है जिसमें दो परस्पर संबंधित घटक हैं-

- i. स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र (एचडब्ल्यूसी): भारत सरकार ने अपने वर्तमान उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अंतरण द्वारा 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) की स्थापना की घोषणा की है। ये केन्द्र स्वास्थ्य देखभाल को लोगों के घरों के समीप लाते हुए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) का प्रचार करेंगे। स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों द्वारा समुदाय की पहुंच, सार्वभौमिकता और समानता का विस्तार करते हुए अपने क्षेत्र की पूर्ण जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए विस्तृत सेवाओं का प्रचार करने की परिकल्पना की गई है।

- ii. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई): "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" भारत की फलैगशिप सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन स्कीम है, जिसका लक्ष्य भारतीय जनसंख्या के सबसे नीचे 40 प्रतिशत गरीब और संवेदनशील परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल देखभाल के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। शामिल परिवार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) के अभावग्रस्त और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित है। पीएम-जेएवाई के अंतर्गत उल्लिखित कवरेज में ऐसे परिवार भी शामिल हैं, जो आरएसबीवाई में तो कवर थे परंतु, एसईसीसी 2011 डाटा बेस में उपलब्ध नहीं है।

### 5.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण :

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई को कार्यान्वित करने के लिए एक जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। राज्य स्तर पर स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए, संबंधित राज्यों द्वारा राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां (एसएचए) स्थापित की गई हैं। एसएचए लाभार्थियों को कवर कर रहा है। एनएचए के कार्यों में अन्य स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन स्कीमों के साथ पीएम-जेएवाई के अभिसरण के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाओं को स्थापित करना शामिल है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है :

- i. पीएम-जेएवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ii. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य बीमा विनियमों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर कार्य करना।
- iii. देश भर में पीएम-जेएवाई को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना और उसकी नियमित रूप से निगरानी करना।
- iv. लाभार्थियों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए जागरूकता कार्यक्रमलाप आयोजित करना।

### 5.4 पीएम-जेएवाई की मुख्य विशेषताएं :

#### 5.4.1 पीएम-जेएवाई की मुख्य विशेषताएं :

प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रदान करके और उसके प्रीमियम का भुगतान केन्द्र राज्य सरकारों दोनों द्वारा करके, प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को कैशलेस द्वितीयक और तृतीयक

स्वास्थ्य परिचर्या का लाभ दिया जाता है। एबी-पीएमजेएवाई पात्रता पर आधारित एक स्कीम है जिसका लाभ सबसे गरीब और कमजोर 40% आबादी को दिया जाता है। परिवारों का समावेशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) के क्रमशः वंचित और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित होता है। शामिल किए गए ग्रामीण परिवारों (जिन्हें बाहर नहीं रखा गया है) को सात वंचित मानदंडों (डी1 से डी7) की उनकी स्थिति के आधार पर रैंक पर रखा जाता है। शहरी परिवारों को व्यावसायिक श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

#### 5.4.2 ग्रामीण लाभार्थी

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल सात वंचित मानदंडों में से, पीएम-जेएवाई के अंतर्गत उन परिवारों को शामिल किया जाता है जो निम्नलिखित छह वंचित मानदंडों (डी1 से डी5 और डी7) और स्वतः समावेशन (निर्धन/भिक्षा पर निर्भर व्यक्ति, मैनुअल स्केवेंजर्स के परिवार और प्राचीन जनजातीय समूह, कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ श्रमिक) मानदंडों में से कम से कम एक मानदंड के अंतर्गत आते हैं।

- डी1- कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाला केवल एक कमरा है
- डी2- 16 से 59 आयु वर्ग के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है
- डी3- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 आयु वर्ग के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है
- डी4- दिव्यांग सदस्य और शारीरिक रूप से स्वस्थ कोई वयस्क सदस्य नहीं
- डी5- एससी/एसटी परिवार
- डी7- भूमिहीन परिवार जिनकी आय का मुख्य भाग मैनुअल अनियत श्रम से प्राप्त होता है

#### 5.4.3 शहरी लाभार्थी :

शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित 11 व्यावसायिक श्रेणियों के कामगार इस स्कीम के लिए पात्र हैं :-

- कूड़ा बीनने वाले व्यक्ति, भिखारी, स्ट्रीट वेंडर्स/मोची/फेरी लगाने वाले व्यक्ति/गलियों में अन्य सेवा प्रदाता
- निर्माण कार्य में नियोजित व्यक्ति/प्लंबर/मिस्त्री/मजदूर/पेंटर/वैल्डर/सिक्चुरिटी गार्ड/कुली और सिर पर समान ढोने वाले अन्य व्यक्ति
- स्वीपर/सफाई कर्मचारी/माली
- घर पर काम करने वाले व्यक्ति/कारीगर/शिल्पकार/दर्जी

- ट्रांसपोर्ट वर्कर/ड्राइवर/कंडक्टर/ड्राइवरों और कंडक्टरों के हेल्पर/ढेला चलाने वाले व्यक्ति/रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति
- दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति/सहायक/छोटे प्रतिष्ठानों में चपरासी/हेल्पर/डिलीवरी असिस्टेंट/अटेंडेंट/वेटर
- इलेक्ट्रिशियन/मकैनिक/एसेम्बलर/रिपेयर वर्कर
- धोबी/चौकीदार

**5.4.4** हालांकि पीएम-जेएवाई के अंतर्गत परिवारों की पात्रता के आधार के रूप में एसईसीसी का उपयोग किया जाता है, कई राज्य पहले से ही अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा स्कीमों को कार्यान्वित कर रहे हैं जिनके लिए उन्होंने लाभार्थियों की पहचान की है। अतः, राज्यों को पीएम-जेएवाई के लिए अपना स्वयं का डाटाबेस उपयोग में लाने की छूट प्रदान की गई है। अतः, पीएम-जेएवाई के अंतर्गत राज्यों को अपना कार्यान्वयन मॉडल चुनने की छूट प्राप्त है।

**5.5** कार्यान्वयन एजेंसी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ अभिसरण के माध्यम से पात्रता और डीएनटी, एनटी और एसएनटी लाभार्थियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य एजेंसी प्राधिकरण :

**5.5.1** डीएनटी, एनटी, एसएनटी जैसी लाभ वंचित जनसंख्या जिन्हें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, कुछ कारकों की वजह से जिनमें पात्रता संबंधी नियम, लाभार्थी की वैधता संबंधी प्रगति शामिल है, इस स्कीम का कम उपयोग कर रही है।

**5.5.2** विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) की भागीदारी के साथ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) के अंतर्गत केवल डीएनटी समुदायों को लाभान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। इससे पीएमजेएवाई के अंतर्गत निधियों की प्रतिपूर्ति करने के माध्यम से पीएम-जेएवाई के अंतर्गत एक स्थापित एनएचए/एसएचए नेटवर्क उपलब्ध होगा।

**5.5.3** मंत्रालय का विचार एनएचए/एसएचए के माध्यम से डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों को निम्नानुसार शामिल करने का है :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय : इस स्कीम में लाभार्थियों को एसएचए एसोरेस मॉडल के अंतर्गत डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों के परिवारों को पंजीकृत किया जाएगा जिसमें राज्य डीएनटी, एनटी और एसएनटी

समुदायों के ग्रामीण परिवारों के लिए निम्नलिखित मानदंडों में से कोई एक वंचित मानदंड का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे :

- डी1- कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाला केवल एक कमरा है
- डी2- 16 से 59 आयु वर्ग के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है
- डी3- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 आयु वर्ग के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है
- डी4- दिव्यांग सदस्य और शारीरिक रूप से कोई स्वस्थ वयस्क सदस्य नहीं है
- डी7- भूमिहीन परिवार जिनकी आय का मुख्य भाग मैनुअल नियत श्रम से प्राप्त होता है

2. शहरी क्षेत्रों में डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय : इस स्कीम में लाभार्थियों को एसएचए एसोरेंस मॉडल के अंतर्गत डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों के परिवारों को पंजीकृत किया जाएगा जिसमें राज्य डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों के शहरी परिवारों के लिए निम्नलिखित मानदंडों में से कोई एक वंचित मानदंड का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

- कूड़ा बीनने वाले व्यक्ति, भिखारी, स्ट्रीट वेंडर्स/मोची/फेरी लगाने वाले व्यक्ति/गलियों में अन्य सेवा प्रदाता
- निर्माण कार्य में नियोजित व्यक्ति/प्लंबर/मिस्त्री/मजदूर/पेंटर/वैल्डर/सिक्युरिटी गार्ड/कुली और सिर पर समान ढोने वाले अन्य व्यक्ति
- स्वीपर/सफाई कर्मचारी/माली
- घर पर काम करने वाले व्यक्ति/कारीगर/शिल्पकार/दर्जी
- ट्रांसपोर्ट वर्कर/ड्राइवर/कंडक्टर/ड्राइवरों और कंडक्टरों के हेल्पर/ढेला चलाने वाले व्यक्ति/रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति
- दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति/सहायक/छोटे प्रतिष्ठानों में चपरासी/हेल्पर/डिलीवरी असिस्टेंट/अटेंडेंट/वैटर
- इलेक्ट्रिशियन/मकैनिक/एसेम्बलर/रिपेयर वर्कर
- धोबी/चौकीदार

## 5.6 कार्यान्वयन एजेंसियां और पात्रता :

इस स्कीम के घटक को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। यदि यह लागू होता है, तो इस घटक को कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/डीडब्ल्यूबीडीएनसी एनएचए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर



हस्ताक्षर करेंगे। एनएचए यह सुनिश्चित करेगा कि एसएचए पात्र डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों की पहचान करने के लिए राज्य समाज कल्याण विभाग से सहायता ले और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) को पीएम-जेएवाई के लिए लाभार्थियों की सूची से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध कराएंगे।

प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों को कैशलेस द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल का लाभ प्रदान करने के लिए, केवल पात्र डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों को लाभान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) के साथ मिलकर प्रत्येक परिवार के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा और उसका प्रीमियम पूरी तरह से मुफ्त होगा।

#### 5.7 वित्तपोषण का ढांचा और लागत संबंधी मानदंड :

एनएचए द्वारा निर्धारित लागत संबंधी मानदंडों के अनुसार प्रीमियम का भुगतान विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) द्वारा पात्र डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों के मामले में वार्षिक बीमा प्रीमियम कवर अंशदान के लिए एनएचए को केन्द्रीय सहायता के रूप में किया जाएगा जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर स्कीम के इस घटक को कार्यान्वित करेगा। इससे पीएमजेएवाई के अंतर्गत निधियों की प्रतिपूर्ति करने के माध्यम से पीएम-जेएवाई के अंतर्गत स्थापित एनएचए/एसएचए नेटवर्क स्थापित होगा।

#### 5.8 समीक्षा और निगरानी :

- 1) डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से की जाएगी।
- 2) डीडब्ल्यूबीडीएनसी समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा और उन बैठकों में एनएचएम स्कीम की प्रगति के बारे में प्रस्तुति पेश करेगा।
- 3) डीडब्ल्यूबीडीएनसी, एनएचएम के साथ परामर्श करते हुए उपर्युक्त शर्तों में जहां कहीं वह आवश्यक समझेगा, कोई संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

#### 6. आजीविका :

##### 6.1 डीएनटी/एनटी/एसएनटी के लिए सशक्तिकरण और आजीविका संबंधी पहलों में सहायता:

डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के परम्परागत व्यवसायों में कमी आने की वजह से उनकी गरीबी और अधिक बड़ी है। इन समुदायों के लिए आजीविका का सृजन करना बहुत आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर जनसंख्या जिसमें विमुक्त, घुमन्तू जनजातियां और अर्ध-घुमन्तू जनजातियां (डीएनटी, और एनटी/एसएनटी) शामिल हैं देश की सबसे अधिक गरीब जनसंख्या है। आधुनिक आजीविका जिसमें अधिक स्थापित जीवन शैली और संस्था निर्माण शामिल है, उससे इन समुदायों को भी लाभ मिलेगा और वे सरकारी स्कीमों का लाभ उठा पाएंगे और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, उनकी शिक्षा बिना किसी व्यवधान के जारी रहेगी।

## 6.2 उद्देश्य :

- i. इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य संस्थागत समर्थन, तकनीकी सहायता में निवेश के माध्यम से डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु महत्वपूर्ण आजीविका के क्षेत्रों में उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक पहल के रूप में सामुदायिक स्तर पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के सहयोग से संस्थागत निर्माण कार्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- ii. डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय जिनकी संख्या बहुत कम है और जिनकी क्षमता और कौशल सीमित है, की सहायता से सामाजिक एकत्रीकरण के माध्यम से उन्हें सशक्त करके संस्थाओं का निर्माण करना और उन्हें सुदृढ़ करना।

## 6.3 स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत अभिसरण :

6.3.1 स्थानीय नेतृत्व, एसएचजी, सीबीओ की क्षमता में सुधार लाना और उनके संबंधों को मजबूत करना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसआरएलएम के माध्यम से एनआरएलएम सभी ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचने के लिए जमीनी स्तर के गरीब व्यक्तियों के लिए संस्थानों के माध्यम से संस्थाओं का निर्माण करेगा और उन्हें सतत आजीविका के अवसर प्रदान करेगा। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रमों तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों के अभिसरण पर बहुत अधिक जोर देगा।

6.3.2 सामाजिक एकत्रीकरण एक गहन प्रयास है जिसके लिए समर्पित और उपयुक्त मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्तर पर मानव संसाधनों की क्षमता के स्तर में सुधार लाने के लिए अभिमुखीकरण और क्षमता निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है

जिससे जमीनी स्तर पर ग्रामीण समृद्धि के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। एनआरएलएम ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर संवेदी और समर्पित सहायता संरचनाएं स्थापित की हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को राज्य स्तर पर अपने राज्य मिशन प्रबंधन यूनिटों, जिला स्तर पर जिला मिशन प्रबंधन यूनिटों, और ब्लॉक तथा/अथवा क्लस्टर स्तर पर उप-जिला यूनिटों में पर्याप्त मानव संसाधनों के साथ गठित किया गया है। ये सहायक संरचनाएं गरीब व्यक्तियों के सामाजिक एकत्रीकरण के लिए सुसज्जित, संवेदी और उपयुक्त हैं और इनका सरकार (सरकारों), जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) और पीआरआई के साथ घनिष्ट संबंध है।

#### 6.4 कार्यान्वयन एजेंसियां और कार्यनीति :

6.4.1 इस घटक के अंतर्गत, समुदाय समूह सामाजिक एकत्रीकरण को शुरू करने, सीबीओ और एसएचजी को तैयार करने और समुदाय में इन जनजातियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विमुक्त, घुमन्तू जनजातियां और अर्ध-घुमन्तू जनजातियां (डीएनटी, एनटी और एसएनटी) लक्षित जनसंख्या है।

6.4.2 स्कीम के घटक को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। एनएचए यह सुनिश्चित करेगा कि एसएचए पात्र डीएनटी, एनटी और एसएनटी समूहों की पहचान करने के लिए राज्य समाज कल्याण विभाग की सहायता ले।

6.4.3 इस विशेष पहल से डीएनटी के एसएचजी/सीबीओ, और एनटी/एसएनटी सामुदायिक समूहों और एनआरएलएम, एसएलआरएम और पीआरआई संस्थानों तथा राज्य से ब्लॉक स्तर तक इसकी अवसंरचनाओं के बीच प्रभावी रूप से अभिसरण होगा जिससे पीआरआई संस्थानों और सीबीओ तथा डीएनटी के एसएचजी, और एनटी/एसएनटी समूहों के बीच सहायता का आदान-प्रदान करने/विशेषज्ञ संसाधनों को शेयर करने के लिए नियमित रूप से संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। और इसके लिए एनआरएलएम और एसआरएलएम की भूमिका संस्थागत समर्थन को सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) मौजूदा कार्यक्रमों में गरीब व्यक्तियों को लक्षित करने तथा उन्हें शामिल करने के लिए कार्य नीतियों का अनुकरण करेंगे।

6.4.4 उपर्युक्त पैरे की पृष्ठभूमि के अनुसरण में, डीएनटी, और एनटी/एसएनटी सामुदायिक समूहों को सशक्त करने और उनकी आजीविका में सुधार लाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित कार्य नीतियों का अनुकरण किया जाएगा :

- राज्य सरकारें डीएनटी, एनटी और एसएनटी के सशक्तिकरण और उनकी आजीविका में सुधार लाने के कार्य में समग्र समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की पहचान करेंगी।
- इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा एक कार्य प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि एसआरएलएम द्वारा इस घटक को शुरू करने के लिए डीएनटी/एनटी/एसएनटी समूहों हेतु राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर कार्य कर सकें।
- इस संबंध में प्रख्यात सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थान जिसके पास क्षेत्र में विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी, एनटी) के सशक्तिकरण और उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से उत्कृष्ट अनुभव प्राप्त होगा, से सहायता ली जाएगी।

• एसआरएलएम मुख्यतः निम्नलिखित मदों पर ध्यान केन्द्रित करेगा :

- 1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विमुक्त और घुमन्तू समुदायों की विशिष्ट घनी आबादी वाले स्थलों/क्षेत्रों पर मुख्यतः ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
- 2) जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित जिला प्रशासन के सहयोग से 25-45 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिबद्ध महिलाओं और पुरुषों की पहचान करना (जिनमें से 50% महिलाएं होंगी) जो "सामुदायिक संपर्क व्यक्ति" (सीसीपी) के रूप में संसाधन व्यक्ति सीसीपी के रूप में कार्य करेंगे, का दो स्तरों पर चयन किया जाएगा। विशिष्ट डीएनटी, एनटी और एसएनटी के सामुदायिक समूह स्तर से दो सीसीपी का चयन किया जाएगा। वे विशिष्ट डीएनटी, एनटी और एसएनटी सामुदायिक समूह स्तर पर मुख्यतः संपर्क बिन्दु होंगे। जिले में जिला स्तर पर दूसरे किस्म के लोग और अधिक योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी सीसीपी होंगे जहां वे जिले में पर्याप्त संख्या में डीएनटी, एनटी और एसएनटी समूह पाए जाते हैं। प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर 5 सीसीपी होंगे जो शिक्षित, सामुदायिक संस्था निर्माण में अनुभवी और समुदाय की सूचना को एकत्र करने, उसकी पुष्टि करने, इस समुदाय के सशक्तिकरण को विकसित करने तथा आजीविका प्रक्रिया में सुधार लाने में सहायता देने तथा कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित करने में सक्षम होंगे।
- 3) एसएचजी में डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों की पहचान की जाएगी और उनका समूहीकरण किया जाएगा जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी तथा विभिन्न स्तरों पर एसएचजी परिसंघ (परिसंघों) के साथ संपर्क स्थापित किया जाएगा
- 4) विशिष्ट विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू एसएचजी संस्था का निर्माण करने और उसे सुदृढ़ करने तथा ऐसी संस्थाओं को दीर्घावधि के लिए निर्मित करने एवं उनकी अपनी कल्याण और विकास संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
- 5) विशेष रूप से पहचान किए गए डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय के कल्याण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, दौरे आयोजित करना और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना। मास्टर शिल्पकारों और एसएचजी के सदस्यों को उनके व्यवसायों में परम्परागत कौशल सहित प्रशिक्षण प्रदान करना तथा यदि वे चाहें तो उन्हें परम्परागत व्यवसायों से भिन्न दूसरे व्यवसायों में नियोजित करना।
- 6) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्रामीण आजीविका मिशन डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों, एसएचजी/कोपरेटिक्स, और परम्परागत कार्यकलापों जैसे हथकरघा और

हस्तशिल्प में नियोजित वर्गों को प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें नए कौशलों को हासिल करने तथा उनके मौजूदा कौशल का उन्नयन करने के लिए सहायता प्रदान करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) और खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग (केबीआईसी) के साथ उन्हें जोड़ेगे।

- 7) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे भूमिहीन श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों और अकेली महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। डीएनटी, एनटी और एसएनटी के पूर्व मौजूदा एसएचजी की समावेशन के लिए भी पहचान की जाएगी।
- 8) प्राथमिक लाभार्थियों में छात्रों सहित 21-30 वर्ष के आयु समूह की अधिक से अधिक महिलाएं होंगी।

#### 6.5 लागत संबंधी मानदंडों और अनुमत्य घटकों के साथ पहल:

क्रम सं.	घटक	लागत (अधिकतम सीमा) (रुपए में)
1.	सामुदायिक बैठकों का आयोजन (3 माह में कम से कम 2 बैठकें)	3000
2.	समुदाय के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कम्युनिटी आउटरीच एंटी प्वाइंट एक्टिविटी (ईपीए)	50000
3.	विशिष्ट डीएनटी, एनटी/एसएनटी समुदाय समूह स्तर पर समुदाय संपर्क व्यक्ति सीसीपी-प्रत्येक समुदाय में 2 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय	6000
4.	जिला स्तर पर समुदाय संपर्क व्यक्ति सीसीपी-प्रत्येक जिले में 5 व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय	50000
5.	संस्थागत निर्माण के लिए संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु ग्राम पंचायत के प्रमुख व्यक्तियों को शामिल करके समुदाय के एसएचजी/सीबीओ सदस्यों को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला।	20000
6.	सीबीओ और एसएचजी रिवॉल्विंग फंड : एसएचजी की सक्रिय स्थिति के आधार पर सीबीओ और एसएचजी के लिए कॉरपस, प्रत्येक एसएचजी के लिए 10,000 रुपए का मानदेय।	10,000
7.	सीबीओ रिवॉल्विंग फंड : सीबीओ की सक्रिय स्थिति के आधार पर सीबीओ के लिए कॉरपस, प्रत्येक सीबीओ के लिए 15,000 रुपए का मानदेय।	15,000
8.	समुदाय का मूल्यांकन करने के लिए पीआरए कार्रवाई/त्वरित समुदाय सर्वेक्षण (आरसीएस)	10000

<b>9.</b>	युवा कारीगरों/कलाकारों, जिन्हें विशेष कौशल प्राप्त है, का कौशल विकास/के लिए क्षेत्रीय दौरे, प्रत्येक डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर के लिए अधिकतम 5 व्यक्ति तथा समुदाय द्वारा उत्पादित उत्पाद के मूल्यवर्धन के लिए परिष्कृत टूल किट सहित, प्रत्येक लाभार्थी के लिए 10,000 रुपए।	50000
<b>10.</b>	एसआरएलएम को, तकनीकी विशेषज्ञों को विभिन्न कार्यकलापों को शुरू करने के लिए पारिश्रमिक, टीए/डीए, परिवहन आदि सहित अपने खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्येक समुदाय के लिए संस्थागत व्यय।	40000

## 6.5.1 की जाने वाली गतिविधियां:

### क. सामुदायिक बैठकों का आयोजन:

- i. स्थानीय शासन पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए संस्थागत मंच प्रदान करने हेतु डीएनटी, एनटी और एसएनटी समूहों के एसएचजी/सीबीओ का गठन;
- ii. सामाजिक आर्थिक जरूरतों पर उनके मुद्दों को एकत्रित करने के लिए;
- iii. पंचायतें डीएनटी, एनटी और एसएनटी, एसएचजी/सीबीओ के लिए क्या कर सकती हैं सीबीओ पंचायत जीपीडीपी का समर्थन कैसे कर सकते हैं, इस पर स्पष्टता लाने के लिए जीपी स्तर पर एसएचजी और पीआरआई के बीच अभिसरण और विकासशील संबंध के लिए कार्यनीति विकसित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने तथा उस पर बल देने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करना;
- iv. आजीविका के पैटर्न और समुदाय में क्षमता की चर्चा के माध्यम से आजीविका गतिविधियों का चयन जैसे प्रमुख आजीविका क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें समुदाय के गरीब भाग लेकर लाभान्वित हो सकते हैं, बाधाओं, अवसरों, मूल्य श्रृंखलाओं को समझ सकते हैं और आवश्यक प्रमुख हस्तक्षेपों का निर्धारण कर सकते हैं;
- v. स्थानीय सरकारी संस्थाओं जैसे जीपी, जेएफएम, और डीएनटी, एनटी और एसएनटी समूहों के एसएचजी/सीबीओ के कार्यक्रमों के लिए अभिसरण पर चर्चा करना;
- vi. पंचायतों और डीएनटी, एनटी तथा एसएनटीएस की संस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी कार्य संबंध बनाने वाले तंत्र को सुगम बनाना।
- vii. सरकार द्वारा प्रायोजित समाज सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के लिए डीएनटी, एनटी और एसएनटी की पहुंच तथा पात्रता में सुधार के लिए गांवों में और उसके आसपास डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर्स / बस्तियों के समावेशन हेतु सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का सुग्राहीकरण।

### ख. समुदाय के साथ संबंध बनाने के लिए सामुदायिक आउटरीच एंटी पॉइंट गतिविधि (ईपीए):

संस्था को मजबूत करने के दौरान, समुदाय एंटी पॉइंट एक्टिविटीज (ईपीए) की पहचान करेगा, जिसका निर्णय संयुक्त तौर पर लिया जाएगा। इसे परियोजना अवधि के दौरान विशेष रूप से भूमिहीन, सामान्य लाभ हेतु सार्वजनिक कार्य जैसे पेयजल, लघु सिंचाई, चेक डैम के लिए मजबूत सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उठाया जाएगा। गतिविधि/गतिविधियों का निर्णय समुदाय की सामान्य बैठक में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। विशेष रूप से इसका उद्देश्य सहभागी समुदाय की बैठक- जैसे शराब पीना



पानी, लघु सिंचाई, चेक डैम, मजबूत संपत्ति का निर्माण, बेहतर आजीविका का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से महिलाओं के उच्च नत जीवन यापन के समर्थन, पेयजल, लघु सिंचाई, चेक डैम के लिए मजबूत परिसंपत्तियों के सृजन जैसे सामान्य लाभों को भागीदार सामुदायिक बैठक में प्राथमिकता के आधार पर निर्णय के लिए समुदाय की तत्काल आवश्यकता के समर्थन हेतु सार्वजनिक कार्यों के द्वारा सामुदायिक संस्था की संबंध और उत्प्रेरणा का सृजन करना इसका लक्ष्य है।

## ग. सीसीपी का चयन:

घुमंतू, गरीब और कम शिक्षित होने के कारण, डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय ज्यादातर अपने अधिकारों और पात्रताओं से अनजान हैं और उन पर दावा करने की स्थिति में नहीं हैं। अतः पुरुषों और महिलाओं दोनों में 25-45 वर्ष के आयु वर्ग में विशिष्ट डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर स्तर पर जिन्हें 'सामुदायिक संपर्क व्यक्ति' (सीसीपी) के रूप में नामित किया गया है, जो अपने समुदायों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों और समस्याओं, उनके अधिकारों और पात्रताओं तथा केंद्र व राज्य की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं, में से डीएनटी, एनटी और एसएनटी के स्मार्ट और प्रतिबद्ध सदस्यों की पहचान करना आवश्यक है। विशेष रूप से चयनित डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर स्तर पर घटक कार्यान्वयन में मदद करने के लिए उन्हें सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के रूप में विकसित और नियुक्त करने पर बल दिया जाएगा।

दूसरे प्रकार का अधिक योग्य और अनुभवी सीसीपी उस जिले में जिला स्तर का होगा जहां कई डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर पाए जाते हैं। प्रत्येक जिले में दो जिला स्तरीय सीसीपी का चयन किया जाएगा। विशेष रूप से एसएचजी के क्षमता निर्माण और उनके संघों और अन्य समूहों को जोड़ने के लिए उन्हें सामुदायिक पेशेवरों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के रूप में विकसित करने और संलग्न करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर स्तर पर दो सीसीपी विशिष्ट डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर के एक सक्रिय सदस्य होंगे, जिन्हें औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनमें विशेष रूप से चयनित डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर स्तर पर घटक कार्यान्वयन में मदद करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति होने की क्षमता है। सीसीपी का चयन एसआरएलएम द्वारा समुदाय के पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों के परामर्श से किया जाएगा। क्लस्टर स्तर के सीसीपी को 3000/- रुपये प्रतिमाह के निश्चित समेकित मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

**क) जिला स्तरीय सीसीपी की भूमिका:**

- i. भाग लेने वाली विभिन्न एजेंसियों से संवाद तथा समन्वय।
- ii. अभिलेख तथा समुदाय से संबंधित अन्य दस्तावेजों की प्रति तैयार करना तथा बनाए रखना।
- iii. समुदाय कल्याण और आजीविका गतिविधियों की तैयारी और कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करना।
- iv. समुदाय के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में सहायता करना।

**ख) जिला स्तरीय सीसीपी के लिए पात्रता मानदंड:**

- i. सीसीपी: डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय से होना चाहिए (50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए)।
- ii. आयु: 25 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए।
- iii. योग्यता: कम से कम 10 वीं पास होना चाहिए और सामुदायिक संस्था निर्माण, लेखा / संचार कौशल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

**ग) चयन प्रक्रिया**

- i. सीसीपी एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर होगा। इसे आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
- ii. इन सीसीपी के चयन के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला स्तर पर प्रतिष्ठित डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय के 2 प्रतिनिधि और जिला कलेक्टर की भागीदारी के साथ एसआरएलएम द्वारा किया जाएगा।

**घ) पारिश्रमिक**

- i. जिला स्तरीय सीसीपी को 10000/- रुपये प्रति माह के निश्चित समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
- ii. उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

### इ) नियुक्ति के लिए अन्य शर्तें

- i. सप्ताह में 6 दिन पूरे समय काम करना होगा।
- ii. एक वर्ष में 12 दिनों के आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होंगे लेकिन एक महीने में 1 से अधिक नहीं।
- iii. एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- iv. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर होगी।
- v. ₹ कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण लेना होगा।

### घ. ग्राम पंचायत के प्रमुख चयनित समुदाय के व्यक्तियों / प्रमुख व्यक्तियों को शामिल करते हुए एसएचजी / सीबीओ सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला:

सरकार की विभिन्न विकासात्मक ₹ कीमों और स्वयं सहायता तथा सहयोग के प्रोट साहन तक पहुंच के मामलों को समझने के लिए समूहों को एकत्रित करने हेतु और एक समान ८ लेटफॉर्म पर एकत्र होने के लिए समूहों को तैयार करने हेतु क्षमता निर्माण के लिए संगठनात्मक क्षमता अंतःक्षेप को मजबूत करना।

- महिलाओं और युवाओं पर ध्यान देते हुए समूह निर्माण, सामूहिक सौदेबाजी कौशल, संघर्ष प्रबंधन, उद्यमिता, लेखा/वित्तीय कौशल, ऋण आदि की सुविधा।
- सरकारी स्कीमों में वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड आदि की मांग और काम तथा समय पर भुगतान की मांग में आने वाली समस्याओं के समाधान को समझना।
- मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) स्कीम की वार्षिक स्कीम प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ज्ञान का आधार बढ़ाना;
- मनरेगा स्कीम के तहत डीएनटी, एनटी समूहों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हर साल 100 दिनों के सवेतन कार्य के भुगतान की गारंटी का समर्थन

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सीबीओ के लिए प्रशिक्षण इन पर आधारित हो सकता है:

1. एसएचजी, ग्राम संगठनों (वीओ) और ब्लॉक स्तरीय संघों (बीएलएफ) की अवधारणाएं,
2. समूह प्रक्रियाएं और प्रबंधन,
3. नियमित बैठकें
4. नियमित बचत
5. आंतरिक उधार
6. ऋणों की नियमित चुकौती
7. बहीखाता
8. अच्छा स्वास्थ्य
9. प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षकों के रूप में सक्रिय महिलाओं की पहचान
10. निधि प्रबंधन और बहीखाता पद्धति सहित सूक्ष्म वित्त संचालन,
11. ऋण प्राथमिकता स्कीम,
12. पंचायती राज संस्थाओं में संघर्ष समाधान और नियमित भागीदारी
13. सामाजिक मुद्दे
14. सरकारी स्कीमों के माध्यम से पात्रता तक पहुंच

### इ. डीएनटी/एनटी एसएचजी और सीबीओ का गठन:

गरीबों की संस्थाओं के माध्यम से उनके एकीकरण से व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लेन-देन की लागत कम हो जाती है, जो उनकी आजीविका को अधिक व्यवहार्य बनाता है। डीएनटी, एनटी के मजबूत संस्थान जैसे कि एसएचजी, उनके सामुदायिक स्तर और उच्च स्तरीय संघ, सरकारी कल्याण और विकास कार्यक्रमों में उन्हें स्थान, आवाज और संसाधन प्रदान करने और बाहरी एजेंसियों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक हैं। उन्हें सशक्त बना कर ज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार, उत्पादन, सामूहिकता और वाणिज्य के केंद्रों के रूप में कार्य करना चाहिए। इसलिए, यह गतिविधि प्रारंभ में इन संस्थानों को सामुदायिक स्तर पर स्थापित करने पर केंद्रित होगी।

**समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ):** सीबीओ केंद्रीय और अभिन्न अंग होगा। इसके लिए सामुदायिक स्थानों, बस्तियों, ढाणियों, टेंट कॉलोनी या समुदाय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जाना जाता है, किसी भी स्थानीय नाम से प्रत्येक डीएनटी/एनटी समुदाय आधारित संगठन के गठन के लिए केंद्रित प्रयास किया जाएगा, जिसमें किसी विशेष डीएनटी/एनटी के समूह का निवास स्थान हो। सीबीओ की मदद से जाति प्रमाण

पत्र, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड की स्थिति के साथ समुदाय के मूल आँकड़ों को जहां तक संभव हो, तैयार किया जाएगा। सीबीओ के गठन के लिए, समूह निर्माण और विकास के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रति सीबीओ 15,000 रु. दिया जाएगा।

सीबीओ की आम सभा में महिला और पुरुष दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। ये सभी संस्थाएं समावेशी होंगी और किसी भी वयस्क सदस्य को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। सीबीओ के गठन और कार्यकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम भी शामिल होंगे:

- शुरुआत में समुदाय और गांव में राय बनाने वालों से मिलें
- स्थान या गतिविधि के आधार पर हितधारकों की पहचान करें।
- बस्-ती-वार छोटी सामूहिक चर्चा करें और सीबीओ के गठन पर सहमत हों
- सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण ।
- ग्रामीण आजीविका में सुधार और ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने पर चर्चा।
- ग्रामीण गरीबों और उत्पादकों के संगठनों का विकास करना ताकि वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों से सेवाओं, ऋण और परिसंपत्तियों तक पहुंच और बेहतर संपर्क कर सकें।
- समुदाय के सभी वयस्क सदस्य सीबीओ की गतिविधियों के संचालन के लिए कार्यकारी समिति के चयन पर सहमत होते हैं।
- कार्यकारी समिति में 4 पदाधिकारी होंगे: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सदस्य सचिव। कम से कम एक महिला का चुनाव करना अनिवार्य है।

**एसएचजी:** इस गतिविधि से एसएचजी (आजीविका समूह), आजीविका के लिए उत्पादक समूह जैसे विशिष्ट संस्थानों को बढ़ावा देना चाहिए।

प्रोत्साहन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, और सूचना, ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार आदि तक पहुंच। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों से स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के मौजूदा संस्थान गठित हैं। यह स्कीम गतिविधि डीएनटी, एनटी, एसएचजी संस्थानों के गठन और पोषण की प्रक्रियाओं का समर्थन करेगी और संबंधित मौजूदा संस्थानों के साथ संबंध विकसित करने का प्रयास

करेगी। डीएनटी और एनटी के स्वयं सहायता को बढ़ावा देने वाले संस्थानों का समर्थन किया जाएगा।

यह गतिविधि सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक चिन्हित डीएनटी, एनटी परिवार से कम से कम एक सदस्य, अधिमानतः एक महिला, को आजीविका के मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के तहत लाया जाए। एसएचजी के गठन के लिए, समूह निर्माण और विकास के प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रु. प्रति एसएचजी को दिया जाएगा।

### **एसआरएलएम समुदाय प्रोफेशनल और समुदाय संसाधन व व्यक्ति की भूमिका :**

एनआरएलएम कार्यक्रम ने सामुदायिक पेशेवरों का एक कैंडर बनाया है, जो सामुदायिक संस्थानों और उनके संघों के निर्माण के लिए एक बहुत ही गहन समुदाय उन्मुख, जैविक विकास प्रक्रिया का पालन करता है। सामुदायिक पेशेवरों के ये संवर्ग सामुदायिक संस्थानों के गठन और पोषण और इन संस्थानों को एक सार्थक कारण के लिए प्रबंधन और नेतृत्व करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये अपने गांवों में बाधाओं और अवसरों की पहचान करने के लिए बेहतर अनुकूल हैं, और विश्वास पैदा करने और अपने समुदायों को संगठित करने में बहुत अधिक प्रभावी हैं। वे अपने समुदायों के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं क्योंकि वे वहां रहते हैं और स्थानीय वैधता और विश्वास का आनंद लेते हैं। एसआरएलएम के तहत पूरी तरह से स्थानीय संस्थानों के प्रति जवाबदेह सामुदायिक पेशेवरों के संवर्ग का एक नेटवर्क व्यापक रूप से स्थापित किया गया है।

इन पेशेवरों की सेवाएं डीएनटी/एनटी समूहों के लिए सीबीओ और एसएचजी के गठन की जिम्मेदारी संभालने के लिए ली जाएंगी। निम्नलिखित दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सुविधा के लिए ये संवर्ग बहुत महत्वपूर्ण हैं:

- डीएनटी, एनटी के कार्यात्मक एसएचजी के एक बार स्थापित हो जाने के बाद, सुविधा टीम एसएचजी सदस्यों और नेटवर्क को तकनीकी सहायता प्रदान करने और संसाधन एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित करने और एसआरएलएम द्वारा स्थापित क्षेत्र में एसएचजी के मौजूदा ग्राम स्तर के प्राथमिक संघ से जोड़ने गरीब डीएनटी और एनटी परिवारों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगी।

- इसका उद्देश्य डीएनटी/एनटी एसएचजी को क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) और ब्लॉक लेवल फेडरेशन से जोड़ने का होना चाहिए ताकि डीएनटी/एनटी एसएचजी और उनके फेडरेशनों की मांगों को पीआरआई की वार्षिक स्कीमों में उचित वित्तीय आवंटन, प्राकृतिक संसाधन जैसे तालाबों/टैंकों, बाजार प्रांगणों, ग्राम शबा, स्वास्थ्य, नाइट्रेशन स्वच्छता, शिक्षा, आदिवासी, सामाजिक बुराई और श्रम संबंधी मुद्दों को उठाने और कमजोर और निराश्रितों को तत्काल सहायता प्रदान करने जैसे मुद्दों पर सूचना और जागरूकता पैदा करना और इस पर प्राथमिकता दी जा सके। के लीजिंग आउट करके

#### च. पीआरए अभ्यास/रैपिड समुदाय सर्वे (आरसीएस)- समुदाय का विस्तृत सहभागी समुदाय मूल्यांकन:

पीआरए के माध्यम से एक संबंध बनाने वाला संबंध जिसमें समुदाय के साथ और समुदाय के भीतर एक आम समझ तक पहुंचा जा सकता है। इसका उद्देश्य समुदाय और उनके पर्यावरण के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए प्रभावी दृष्टिकोण भी होगा।

डीएनटी और एनटी समुदाय के विशिष्ट सामुदायिक स्तर के जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्राथमिक आँकड़े उनके बारे में प्रलेखित जानकारी में अंतराल को भरेंगे। यह स्थान विशिष्ट समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा और स्थानीय समुदाय के लोगों की प्राथमिकताओं का दस्तावेजीकरण करेगा। इसमें सामुदायिक क्षेत्र में संचालित की जाने वाली गतिविधियों की सूची के अलावा समुदाय द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के साथ-साथ उनके व्यवहार्य समाधान, संसाधनों की आवश्यकता और क्षमता का आँकलन शामिल होगा।

रैपिड समुदाय सर्वे सहभागी होगा जिसमें स्थानीय समुदाय के सदस्य विभिन्न पहलुओं पर आँकड़े और जानकारी निकालने और एकत्र करने के साथ-साथ समुदाय की वास्तविक स्थिति या स्थिति को समझने के लिए शामिल होंगे। इसे समूह चर्चा, अनुभव का साझा करने के जरिए पूरा किया जाएगा।

#### छ. मूल्यवर्धन के लिए प्रशिक्षण/उपकरण किट वितरण सहित कौशल विकास/क्षेत्र प्रदर्शन दौरा:

यह गतिविधि लक्षित डीएनटी, एनटी, एसएनटी व्यक्तियों के निरंतर क्षमता निर्माण का हिस्सा होगी और उन्हें होनहार युवाओं को कौशल, उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने हेतु की जाएगी जिसमें प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कौशल और इनपुट, बाजार लिंकेज आदि शामिल हैं। इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण, फ्रंटलाइन प्रदर्शन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पेशकश की जाएगी। इसमें निम्न नलिखित विषय शामिल हो सकते हैं:

- **ज्ञान को मजबूत करना** - स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के बारे में जानकारी के साथ-साथ सामाजिक बहिष्कार पर प्रशिक्षण भी शामिल है।
- **प्रशासनिक क्षमता में सुधार** - वित्तीय प्रबंधन, रिपोर्टिंग, सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण सहित, संचार, नेतृत्व प्रशिक्षण।
- **केंद्रित आजीविका विकास मॉडल: केंद्रित आजीविका विकास मॉडल के लिए** अभिनव प्रौद्योगिकी और कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से स्थान विशिष्ट डीएनटी, एनटी, एसएनटी समूह को उनके निहित कौशल पर ध्यान केंद्रित करने और उनके जीवन जीने के तरीके को विकसित करने में सक्षम बनाना है। इनमें डीएनटी, एनटी, एसएनटी समूह पृष्ठभूमि जैसे मत्स्य पालन, लघु वन उत्पाद, कारीगर कार्य, डेयरी और संगठित करना, उन्हें मूल्य श्रृंखला और बाजारों में लाभदायक तरीके से शामिल करना और एकीकृत करना शामिल होगा।
- **एक्सपोजर विज़िट** जो सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए सप्ताह भर के एक्सपोजर विज़िट करने की अनुमति देती हैं और स्थानीय नियोक्ताओं के साथ बातचीत करने के अवसर देती हैं ताकि वे पहली बार समझ सकें कि वे क्या खोज रहे हैं।

## 6.6 वित्त पोषण पद्धति और लागत मानदंड:

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) खानाबदोश और अर्द्ध सशक्तिकरण को ले जा रही और, एनटी और एसएनटी समुदायों की पहचान की डीएनटी की आजीविका में सुधार के लिए राज्य स्तर एसआरएलएम के सहयोग से स्कीम घटक के कार्यान्वयन के लिए एनआरएलएम वित्त जाएगा और अपने एसएचजी और सीबीओ को 4 साल के लिए समर्थन देने वाले एजेंसियों के लिए वित्त पोषण करेगा।



## 6.7 समीक्षा और निगरानी

- क) संबंधित एसआरएलएम और राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों से आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
- ख) डीडब्ल्यूबीडीएनसी समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा, जिसके दौरान एसआरएलएम को प्रगति पर प्रस्तुतीकरण देना होगा।
- ग) डीडब्ल्यूबीडीएनसी, जब भी आवश्यक समझें, चयनित एसआरएलएम और राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से पूर्वोक्त शर्तों में कोई भी संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है।

## 7. हाउसिंग फोर डीएनटी

### 7.1 परिचय:

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। वर्तमान में, डीएनटी/एनटी समुदायों से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में परिवार स्थायी आश्रयों और आवासों के बिना हैं। अपने बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, बड़ी संख्या में डीएनटी समुदाय खुद को एक स्थान या दूसरे स्थान पर बसने और वैकल्पिक व्यवसायों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखा गया है कि डीएनटी पूरे देश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं। वे या तो खुले, छोटे और अस्थायी तंबू में या छोटी झोंपड़ियों या तात्कालिक पक्के या कच्चे घरों में रहते हैं। उनकी बस्तियाँ वस्तुतः मलिन बस्तियाँ हैं जहाँ स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, सीवरेज, बिजली, सड़कें और सार्वजनिक शौचालय आदि जैसी सामान्य सुविधाओं की कोई सुविधा नहीं है। समय की माँग यह है कि स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि ऐसी बस्तियों की स्थिति में तत्काल सुधार हो ताकि डीएनटी कम से कम बुनियादी नागरिक सुविधाओं का आनंद ले सकें या बसने के बेहतर स्थानों पर स्थानांतरित हो सकें।

भूमि आवंटन, आवास निर्माण, मलिन बस्तियों के विकास और शहरी क्षेत्रों के उत्थान के लिए बहुत सी मुख्यधारा की स्कीमें/कार्यक्रम हैं, लेकिन डीएनटी/एनटी समुदायों के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर उनका उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि एससी और एसटी के लिए किया गया है, भूमि अधिग्रहण और लेआउट के रूप में विकसित की जानी है और डीएनटी / एनटी समुदायों के सदस्यों को मुफ्त में आवास के लिए दी गई है। जनसंख्या के आधार पर, प्रधान मंत्री आवास स्कीम के तहत ग्रामीण घरों का एक निश्चित प्रतिशत डीएनटी/एनटी समुदायों के सदस्यों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के मंत्रालय / संघ राज्य क्षेत्रों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समाज कल्याण कार्यक्रम स्कीमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं "आवास के लिए सभी" साल 2022 तक सभी के लिए आश्रय स्कीम सोसायटी के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से। प्रधानमंत्री आवास स्कीम शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख स्कीम है। जबकि डीएनटी को भी इस स्कीम के तहत पात्रता मानदंड के तहत कवर किया गया है, लेकिन उनकी कम प्राथमिकता के कारण, यह अनुमान है कि डीएनटी श्रेणी के तहत लाभार्थियों की संख्या नगण्य है।

डीएनटी के लिए घरों की कमी को ध्यान में रखते हुए, एमओएसजेई ने पीएमएवाई के लिए एक अलग परिव्यय निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है ताकि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले डीएनटी के लिए घर उपलब्ध कराने में विशेष महत्व का समर्थन किया जा सके, जिन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी और के रूप में प्रधान मंत्री आवास स्कीम का लाभ नहीं लिया है और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास स्कीम - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), ग्रामीण आवास के लिए एक स्कीम है। इसका उद्देश्य स्कीम के लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं सहित 25 वर्ग मीटर का पक्का घर उपलब्ध कराना है। पीएमएजीवाई, पक्के घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ बुनियादी सुविधाओं और करने के लिए सभी बेघर परिवारों और कच्ची और जीर्ण-शीर्ण घर में रहने वाले लोगों के परिवारों को।

मैदानी इलाकों में यूनिट सहायता 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी इलाकों में 1.30 लाख रुपये है, जिसका न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है जिसमें एक स्वच्छ खाना पकाने की जगह भी हो।

एमओएसजेई एक विशेष उपाय के रूप में प्रधान मंत्री आवास स्कीम - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत पात्र ग्रामीण परिवार डीएनटी परिवारों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करता है। मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले डीएनटी परिवारों को घर के लिए अनुदान प्रदान करना है। मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी इलाकों में 1.30 लाख रुपये प्रति यूनिट की सहायता से न्यूनतम 25 वर्ग मीटर तक अनुदान दिया जाएगा जिसमें एक स्वच्छ खाना पकाने की जगह भी हो। यह सहायता उन डीएनटी को प्रदान की जाएगी जिनके पास जमीन और पक्के मकान नहीं हैं।

डीएनटी परिवार के लिए घर के निर्माण के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को डीएनटी को इस शर्त पर मुफ्त में प्लॉट आवंटित करने होंगे कि आवंटी किसी अन्य व्यक्ति को घर, प्लॉट हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जाएगा कि लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों और महिलाओं के पास संयुक्त रूप से पट्टे हों।

## 7.2 पात्रता मापदंड

लाभ प्राप्त करने के लिए डीएनटी विशिष्ट गृह निर्माण अनुदान सहायता के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हो सकते हैं:

- i) आवेदक संबंधित राज्य के अधिवास के साथ डीएनटी से संबंधित होना चाहिए।
- ii) जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास स्कीम का एससी, एसटी, ओबीसी के रूप में लाभ नहीं लिया है या किसी अन्य विभाग से आवास के लिए कोई अनुदान नहीं लिया है।
- iii) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
- iv) जो लोग बेघर हैं या कच्ची दीवार और छत में रह रहे हैं।
- v) 16 से 59 वर्ष के बीच के वयस्क पुरुष सदस्य के बिना डीएनटी परिवार।
- vi) बिना किसी वयस्क सदस्य वाले परिवार जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है।
- vii) भूमिहीन उम्मीदवार जो आकस्मिक श्रम से आयु अर्जित कर रहे हैं।

### 7.3 कार्यान्वयन एजेंसियां

यह स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

### 7.4 वित्त पोषण पद्धति

प्रधान मंत्री आवास स्कीम की स्कीम के लागत मानदंडों के अनुसार उपरोक्त घटक के लिए विकास और कल्याण बोर्ड द्वारा गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय (डीडब्ल्यू लू यूबीडीएनसी) के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

## 8. सामान्य सिद्धांतः

- 8.1 स्कीम का क्रियान्वयन बोर्ड करेगा। हालांकि, बोर्ड इस स्कीम के तहत किसी भी रिलीज के लिए एमओएसजेई के प्रोग्राम डिवीजन के माध्यम से आईएफडी की सहमति मांगेगा।
- 8.2 स्कीम के तहत लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाएगी जो लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
- 8.3 जहां कहीं भी इस स्कीम के तहत अग्रिम देने की आवश्यकता होगी, इसे किशतों में जारी किया जाएगा। तथापि, यदि यह प्रतिपूर्ति के आधार पर है, तो नियमों के तहत निर्धारित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप पूरी राशि जारी की जाएगी।
- 8.4 "लास्ट माइल" तक फंड की पूरी ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए, सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन ईएटी / आरईएटी मॉड्यूल सुनिश्चित करने के लिए पीएफएमएस पोर्टल का उपयोग करेंगे। धन का वितरण आधारित आधार भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगा।

8.5 सभी अनुदान पाने वाले संगठनों को जीएफआर 2017 के तहत निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके अलावा, जीएफआर 2017 के नियम 230 (8) के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी सहायता या अग्रिम के खिलाफ सभी ब्याज या अन्य कमाई खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद भारत की संचित निधि में अनिवार्य रूप से प्रेषित की जानी चाहिए।

\*\*\*\*\*